विवरण–पत्रिका
PROSPECTUS
(प्रवेश आवेदन–पत्र सहित)
2025-26

श्रीमती भगवती देवी जैन गर्ल्स कॉलेज, आगरा।

32ए बी0डी0 जैन मार्ग, गार्डन रोड़, आगरा छावनी, आगरा।

फोन नं0 – 0562–226325, 2970194

COLLEGE CODE : 0005

AISHE CODE : C-15214

मूल्य – रू. 400/–

शिक्षण संस्थान के जनक
स्व0 सेठ अचल सिंह जी जैन
(भूतपूर्व एम0पी0)

शिक्षण संस्थान की संस्थापिका
स्व0 श्रीमती भगवती देवी जैन
(धर्मपत्नी सेठ अचल सिंह जैन)

श्रीमती भगवती देवी जैन गर्ल्स कॉलेज, आगरा।

32ए बी0डी0 जैन मार्ग, गार्डन रोड, आगरा छावनी, आगरा।

ई–मेल आई0डी0 :– bdjainagra@rediffmail.com

वेबसाइट :– WWW.bdjainagra.com

फोन नं0 :– 0562–2226325, 2970194

विश्वविद्यालय वेबसाइट :– WWW.dbrau.ac.in

"प्रार्थना" नवकार मन्त्र

णमो अरिहंताणं

णमो सिद्धाणं

णमो आयरियाणं

णमो उवन्झायाणं

णमो लोए सब्ब साहूणं

एसो पंच णमोकारो, सब्ब पाव प्पणासरो।

मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलमं।

महाविद्यालय गीत

हे भगवती माँ की बागवानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

हे ज्ञान विद्या की राजधानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

बहती सदा सद् की ज्ञान गंगा

बिखरे गगन तक सुरभि सुगंधा

पवित्र परिसर सदा हमारा तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।

हे भगवती माँ की बागवानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

हे ज्ञान विद्या की राजधानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

साहित्य, वाणिज्य, कला का उद्गम

है नव्य ज्ञान का अद्भुत ये संगम

हो ताजनगरी की तुम शानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।

हे भगवती माँ की बागवानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

हे ज्ञान विद्या की राजधानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

बी0डी0 जैन का यह वट पुरातन

यहाँ की संस्कृति ज्ञानानुशासन

तजे तमस फैले उजियारी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।

हे भगवती माँ की बागवानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

हे ज्ञान विद्या की राजधानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

अडिग विश्वास अटल उर अन्दर

बड़े चले हम निडर निरन्तर

करे हम वंदन सदा तुम्हारी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

हे भगवती माँ की बागवानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

हे ज्ञान विद्या की राजधानी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो

सदा बढ़े उपवन ये हमारा

रहे कुटुम्ब सम वसुधैव सारा

ऐसा अभयवर दो वागरानी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।

उद्देश्य (Mission)

छात्राओं में शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन, सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण, आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बी बनने के गुणों को विकसित कर उनका सर्वांगीण विकास करना।

दृष्टि (Vision)

"अप्प दीपो भव"

अर्थात् अपना प्रकाश स्वयं बनो। किसी दूसरे से उम्मीद करने की अपेक्षा अपना प्रकाश (प्रेरणा) स्वयं बनों। स्वयं तो प्रकाशित हो, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तम्भ की तरह जगमगाते रहो। कोई भी किसी के पथ के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता, केवल आत्मज्ञान और अन्तर्रात्मा के प्रकाश से ही हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते है।

"गौतम बुद्ध"

श्रीमती भगवती देवी जैन कन्या महाविद्यालय
आगरा छावनी, आगरा।

"शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है"

इस शिक्षण संस्थान की विकास यात्रा 29 जनवरी 1949 से प्रारम्भ हुई और अबाध गति से अपने निरन्तर विकास की ओर अग्रसर होकर आज शैक्षिक जगत में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस शिक्षण संस्थान का प्रारम्भ तत्कालीन सांसद तथा कांग्रेस के कर्णधार सेठ अचल सिंह जी की धर्मपत्नी स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती भगवती देवी जैन ने महिलाओं में शैतिक और सामाजिक जागृति के उद्देश्य से ढाई लाख रूपये की चल–अचल सम्पत्ति प्रदान कर के छावनी क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षण संस्था के रूप में प्रारम्भ किया, जिसके दूरगामी परिणाम समय की रफ्तार के साथ कदम–ताल मिलाते हुये भविष्य को मुट्ठी में पकड़ने में निरन्तर अग्रसर हो रहें है।

29 जनवरी 1949 को इस संस्था की नींव रखी गयी तब से शिक्षण संस्था अपने विकास के नित नये आयाम स्थापित करती हुई इन्टर कॉलेज, तदोपरान्त 1964 में महाविद्यालय को स्नातक स्तर की मान्यता प्राप्त हुयी। विकास के चरण को आगे बढ़ाते हुये 1973 में प्रशिक्षण विभाग की मान्यता प्राप्त हुयी तथा 1983 में स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत वादन (तबला, सितार) तथा इतिहास विषय की मान्यता मिली। 2005–06 में स्नातकोत्तर अंग्रजी एवं हिन्दी विषय की तथा 2007–08 में बी0कॉम (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अंतर्गत) को मान्यता मिली।

महाविद्यालय में भाषा संकाय, कला संकाय, ललित कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा प्रशिक्षण संकाय के अन्तर्गत पाठ्य विषयों की अध्ययन सुविधा उपलब्ध है जिसमें NAAC द्वारा सन् 2005 में एवं सन् 2012 में महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा दोनो बार NAAC के मानकों के अनुसार महाविद्यालय पूर्णतः खरा उतरा।

1. **भाषा संकाय** के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय का पठन–पाठन होता है।
2. **कला संकाय** के अन्तर्गत मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान विषय का पठन–पाठन होता है।
3. **ललित कला संकाय** के अन्तर्गत चित्रकला, संगीत गायन, वादन में सितार, तबला पढ़ाया तथा सिखाया जाता है।

4. **प्रशिक्षण संकाय** के अन्तर्गत बी0एड0 छात्राओं को अध्ययन की विशिष्ट सुविधा है।
5. **वाणिज्य संकाय** के अन्तर्गत माइनर (गौण) विषय के रूप में अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास आदि का अध्ययन किया जा सकता है।
6. **स्नातकोत्तर (एम0ए0)** – संगीत तबला/सितार एवं इतिहास तथा **स्ववित्तपोषित** – एम0ए0 हिन्दी एवं अंग्रेजी।
7. माइनर (गौण) विषय प्रथम सेमेस्टर के प्रारम्भिक छः माह में एवं तृतीय सेमेस्टर में पढ़ना अनिवार्य होगा।
8. **व्यावसायिक पाठ्यक्रम :** पब्लिक रिलेशन ऑफिसर

शिक्षण संस्थान की प्रमुख विशेषताएँ :–

(1) अनुशासित वातावरण एवं शैक्षिक वातावरण पर बल दिया जाता है, प्रत्येक विषय के पारंगत, अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की समुचित श्रृंखला है जो शिक्षण तकनीक के माध्यम से अपने अपने विषय का प्रभावी प्रस्तुतीकरण और नवीन जानकारियों से परिष्कृत करने का प्रतिपल प्रत्यन करते हैं।

(2) वाणिज्य की शिक्षा प्राप्त कर छात्रायें आत्मनिर्भर होकर सशक्त हो सकें इसलिए महाविद्यालय में स्नातक की कक्षायें विगत नौ वर्षों से संचालित की जा रही है।

(3) शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिये भाषण – प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप , निबन्ध लेखन, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाता है।

(4) सैद्धान्तिक के साथ–साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु एन0सी0सी0, रोवर्स–रेन्जर्स, राष्ट्रीय–सेवा योजना जैसी इकाईयाँ भी स्थापित की गई हैं।

(5) शिक्षण संस्थान का अपना पुस्तकालय है, जहाँ सभी विषयों से सम्बन्धित मानक पुस्तकों का संकलन है।

(6) बाहर से आने वाली छात्राओं के लिये सुविधा सम्पन्न, घर जैसी अनुभूति देने वाले, स्नेही और सक्षम कर्मचारीयों एवं वार्डन तथा हॉस्टल समिति की देखरेख में छात्राओं के लिये हॉस्टल सुविधा भी है, जहाँ 24 घण्टे

पानी एवं बिजली की सुविधा उपलब्ध है छात्रावास में पौष्टिक और संतुलित आहार की उचित व्यवस्था है।

(7) शिक्षण संस्थान पूर्ण रूपेण वाई–फाई है।

(8) तकनीकी ज्ञान के वर्धन हेतु कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कम्प्यूटर लैब की व्यवस्था है।

(9) छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के खेलकूद की सुविधाएँ प्रांगढ़ में उपलब्ध है।

(10) शिक्षण संस्थान रैगिंग मुक्त रखा जाता है क्योंकि रैगिंग किसी भी रूप में दण्डनीय अपराध है।

(11) शिक्षा को रोजगार परक हेतु प्लेसमेंट सैल का विधान है।

(12) प्रदेश स्तर पर विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक उपलब्धियों के लिये महाविद्यालय पात्रता अनुदान भी प्राप्त करता रहता है।

(13) कौशल विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण उपलब्ध हैं।

(14) संस्कृत विषय में स्नातक स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(15) स्नातकोत्तर हिन्दी, अंग्रेजी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया जाता है।

(16) स्नातक स्तर पर गायन, वादन (सितार/तबला) विषय में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा को नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाता है।

(17) इच्छुक छात्राओं के रोजगार हेतु कैम्पस प्लेसमेंट एवं इंटरशिप की सुविधाएँ 100 प्रतिशत उपलब्ध रहेंगी।

महाविद्यालय में सीटों की संख्या :–

1. बी0ए0 – 560 2. बी0कॉम – 180 3. बी0एड0 – 70

4. एम0ए0 हिन्दी – 60 5. एम0ए0 अंग्रेजी – 60

6. एम0ए0 इतिहास – 60 7. एम0ए0 संगीत सितार – 30

8. एम0ए0 संगीत तबला – 30

प्रवेश प्रक्रिया हेतु सुझाव

1. सर्वप्रथम छात्रा समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवायेंगी तत्पश्चात् उसका कागज लेकर महाविद्यालय में अपना फार्म भरने आयेगी।

2. महाविद्यालय का प्रवेश आवेदन–पत्र ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

3. साक्षात्कार के समय छात्राएँ निम्न प्रमाण–पत्र अपने साथ लेकर अवश्य आये–

- हाई स्कूल – अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र
- इण्टर – अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र
- समर्थ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र
- आय एवं जाति प्रमाण–पत्र
- T.C. (स्थानांतरण प्रमाण–पत्र)

4. महाविद्यालय में 16.05.2025 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होंगी।

5. फार्म भरते समय यदि किसी छात्रा को कोई परेशानी होती है तब वह कार्यालय में आकर श्री निशान्त शाक्य से सम्पर्क कर सकता है।
सम्पर्क हेतु मोबाइल नं0–

- श्री निशान्त शाक्य – 7060520902
- प्रो0 शिखा श्रीधर – 983760058
- समर्थ प्रभारी – अमृता श्रीवास्वता – 8744088402
- डॉ0 संतोष गाबा – 983734829
- डॉ0 श्वेता शर्मा – 7017860206

6. महाविद्यालय का रोड मेप संलग्न है

7. छात्राएँ मुख्य विषय के रूप में 2 मेजर एवं 1 माइनर लेंगी।

8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 2025 से प्रवेश हेतु नियम –

- बी0ए0 / बी0कॉम प्रथम वर्ष – सर्टिफिकेट
- बी0ए0 / बी0कॉम द्वितीय वर्ष – डिप्लोमा
- बी0ए0 / बी0कॉम तृतीय वर्ष – डिग्री
- बी0ए0 / बी0कॉम चतुर्थ वर्ष – ऑनर्स

आवश्यक सूचना

प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों तथा 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों तथा 4 प्रतिशत स्थान दिव्यांगों के लिए (छात्र के स्वयं से संबंधित वर्ग (कैटेगरी) तथा श्रवण बाधित, चलन बाधित तथा दृष्टि बाधित के अंतर्गत ही) तथा E.W.S. हेतु स्वीकृत सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

प्रबन्ध समिति

1.	श्री वीरेन्द्र सिंह जैन (वोहरा)	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन	उपाध्यक्ष
3.	श्री अशोक कुमार राठी, पूर्व सभासद	सचिव
4.	श्री उज्ज्वल कुमार जैन, सी0ए0	कोषाध्यक्ष
5.	श्री नरेश जैन	सदस्य
6.	डॉ0 सुधीर कुमार चौहान	सदस्य
7.	श्री संजय जैन	सदस्य
8.	श्री मेजर भूषणलाल मदान	सदस्य
9.	प्रो0 वन्दना अग्रवाल	सदस्या
10.	डॉ0 प्रतिमा सिंह	सदस्या
11.	श्रीमती अज़रा	सदस्या
12.	श्री गोविन्द अग्रवाल	सदस्य

प्राचार्या

प्रो0 वन्दना अग्रवाल

प्रवक्ता सूची

भाषा संकाय

हिन्दी विभाग

1. प्रो0 शिखा श्रीधर	आचार्या
2. डॉ0 प्रतिमा सिंह	सहायक आचार्या
3. डॉ0 नेहा विश्वकर्मा	सहायक आचार्या
4. अंकिता तिवारी	सहायक आचार्या
5. डॉ0 अर्चना	स्ववित्तपोषित प्रवक्ता

संस्कृत विभाग

1. प्रो0 अनुपम शैरी	आचार्या

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ0 नीलम	सहायक आचार्या
2. श्रीमती डॉ0 अजरा	सहायक आचार्या
3. डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता	सहायक आचार्या
4. कविता सिंह	सहायक आचार्या
5. सुरभि सत्याभा	सहायक आचार्या

कला संकाय

मनोविज्ञान विभाग

1. साक्षी प्रिया गिरि	सहायक आचार्या

दर्शनशास्त्र विभाग

1. रिक्त

इतिहास विभाग

1. डॉ0 नीलम सिंह	सहायक आचार्या
2. रिक्त	

राजनीति विज्ञान विभाग

1. अमृता श्रीवास्तवा	सहायक आचार्या
2. डॉ0 कुमारी अनुपमा	सहायक आचार्या
3. डॉ0 चंचल देवी	सहायक आचार्या

समाज शास्त्र विभाग

1. डॉ0 नसीम अख्तर — सहायक आचार्या
2. डॉ0 आभा मिश्रा — सहायक आचार्या
3. डॉ0 (श्रीमती) संगीता कुमार — सहायक आचार्या
4. श्रीमती पूजा सिंह — सहायक आचार्या
5. अमिता वर्मा — सहायक आचार्या

गृह विज्ञान विभाग

1. प्रो0 किरन सिंह — आचार्या
2. डॉ0 प्रविशा पाण्डेय — सहायक आचार्या
3. रिक्त

अर्थशास्त्र विभाग

1. प्रो0 अनुराधा गुप्ता — आचार्या
2. डॉ0 गरिमा सिंह — सहायक आचार्या

ललित कला संकाय

चित्रकला विभाग

1. डॉ नीलम कान्त — सहायक आचार्या
2. रिक्त

संगीत विभाग

1. प्रो0 वन्दना अग्रवाल — आचार्या (प्राचार्या)
1. प्रो0 मीरा अग्रवाल — आचार्या
2. प्रो0 रेनू वर्मा — आचार्या (अवकाश पर)
3. प्रो0 अनिता रानी — आचार्या
4. कु0 मनीषा (गायन) — सहायक आचार्या
5. रिक्त (तबला)

प्रशिक्षण संकाय

प्रशिक्षण विभाग

1. प्रो0 शुभलेश — आचार्या
2. डॉ0 शिखा — सहायक आचार्या
3. डॉ0 शिखा यादव — सहायक आचार्या
4. श्रीमती प्रियंका रानी — सहायक आचार्या
5. कु0 अनुपम यादव — अंशकालिक प्रवक्ता
6. रिक्त

वाणिज्य संकाय

1. डॉ0 संतोष गाबा	वाणिज्य विभाग (प्रभारी)
2. डॉ0 श्वेता शर्मा	स्ववित्तपोषित प्रवक्ता
3. डॉ0 प्रीति शर्मा	स्ववित्तपोषित प्रवक्ता
4. सोनिया	अंशकालिक प्रवक्ता

व्यावसायिक सह–विषय पाठ्यक्रम (वोकेशनल)

एकीकृत पाठ्यक्रम

प्रोग्रेसिव विषय :– यह विषय प्रथम दो वर्षों में अनिवार्य रूप से अध्ययन करने होंगे।

वर्ग "अ" 1. पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (जन सम्पर्क अधिकारी)

नोट : उपरोक्त विषय प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक परिवर्तित नहीं होगें।

अथवा

वर्ग "स" 1. Computer/Digital Marketing - Ist Semester

2. Food-Bakery and Preservation/E-Commerce - IInd Semester

3. Music Instrumental (Tabla)/Multimedia and Animation - IIIrd Semester

4. Music Vocal/Introduction of Hospitality and Tourisum - IVth Semester

नोट–1 : प्रवेश लेते समय प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर दोनों के व्यावसायिक विषय भरना अनिवार्य है।

नोट–2: तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के समय तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर दोनों के व्यावसायिक विषय भरना अनिवार्य है।

नोट :– बी0ए0/बी0कॉम प्रथम सेमेस्टर प्रवेश निर्देश : बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर की छात्राएँ किसी भी संकाय से 2 मुख्य विषय तथा किसी भी संकाय से एक विषय (माइनर) गौण के रूप में लेंगी। मेजर संकाय से माइनर विषय नहीं ले सकते है।

नोट :– माइनर विषय, प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर में ही लेना अनिवार्य होगा।

शासनादेश संख्या 1032/703–2022–08(35) मई दिनांक 20.04.2022 के अनुपालन में तीन प्रकार के Result हैं–

1. Pass : ऐसे छात्र जिन्होंने प्रथम वर्ष (First and Second Semester) में Total Credit 46 और 48 अर्जित कर लिये हैं।

2. Promoted with Back : ऐसे छात्र जिन्होंने प्रथम वर्ष (प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर) में अधिकतम Total Credit 50 प्रतिशत अर्जित कियें हैं (Major Papers)

- यदि किसी छात्रा के प्रथम और द्वितीय वर्ष (First to Fourth Semester) में कुल पाँच क्रेडिट नहीं होते हैं तो उसे तृतीय वर्ष (Fifth Semester) में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- ऐसी छात्राओं को तीन वर्षों का समय भूतपूर्व परीक्षार्थी (Ex-Students) के रूप में दिया जायेगा, जिससे कि वे अपने Re-Exam को Clear कर सके परन्तु आंतरिक मूल्यांकन के अंक वही रहेंगे।

नोट :– शैक्षणिक निरंतरता बनाये रखने के लिए किसी भी वर्ष में विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद बिना परीक्षाफल घोषित हुए अगले सम सेमेस्टर की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

कार्यालय विभाग

1. श्री गोविन्द अग्रवाल	(कार्यवाहक) कार्यालय अधीक्षक
2. श्री मनोज कुमार सक्सेना, एम0कॉम	लेखाकार एम0कॉम
3. श्री अम्बिका तिवारी	नैत्यिक लिपिक
4. निशान्त शाक्य	कम्प्यूटर आपरेटर (अंशकालिक)
5. रिक्त	

पुस्तकालय विभाग

1. रिक्त	पुस्तकालय अध्यक्ष
2. श्रीमती रेनू जैन	बुक लिफ्टर
3. रिक्त	

विभागीय सदस्य

1. रिक्त	–	मनोविज्ञान
2. श्रीमती ललिता दीक्षित, प्रयो0 सहायक	–	गृह विज्ञान
3. श्रीमती कविता अग्रवाल, प्रयो0 सहायक	–	गृह विज्ञान
4. संगतकार – संगीत (रिक्त)		

सहायक कर्मचारी

1. श्री सत्यवीर सिंह	2. श्री विजय सैनी	
3. श्री अभिषेक	4. श्री दीपक (अंशकालिक)	
5. श्री राज बहादुर (अंशकालिक)	6. रिक्त	7. रिक्त

संरक्षक प्रभारी मण्डल

सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति

1. प्रो0 मीरा अग्रवाल (प्रभारी)
2. डॉ प्रतिमा सिंह
3. प्रो0 अनिता रानी
4. डॉ0 अर्चना सिंह
5. डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता
6. कु0 मनीषा
7. डॉ0 नीलम कान्त
8. नसीम अख्तर
9. डॉ0 नीलम सिंह
10 श्रीमती शिखा गुप्ता
11. डॉ0 प्रीति शर्मा
12. डॉ0 कु0 अनुपमा

पुस्तकालय समिति/ऑनलाइन शिक्षा एवं एल0एम0एस0 प्रकोष्ठ

1. प्रो0 शुभलेश कुमारी (प्रभारी)
2. डॉ0 नसीम अख्तर
3. डॉ0 नीलम सिंह
4. डॉ0 श्वेता शर्मा
5. श्रीमती अजरा
6. डॉ प्रतिमा सिंह

कॉलेज भवन एवं फर्नीचर संरक्षक समिति

1. प्रो0 किरन सिंह (प्रभारी)
2. प्रो0 मीरा अग्रवाल
3. अमृता श्रीवास्तवा
4. डॉ0 नीलम
5. श्रीमती पूजा सिंह
6. श्री मनोज कुमार सक्सेना

निबन्ध प्रतियोगिता /वाद–विवाद प्रतियोगिता समिति

1. प्रो0 शिखा श्रीधर (प्रभारी)
2. डॉ0 नीलम
3. अमृता श्रीवास्तवा
4. डॉ0 श्वेता शर्मा
5. डॉ0 शिखा यादव
6. सुरभि सत्याभा

एन0सी0सी0

1. कैप्टन (डॉ0) नीलम कान्त (प्रभारी)

रोवर्स रैंजर्स (मेंटर, प्रो अनिता रानी)

1. कविता सिंह (प्रभारी)
2. अंकिता तिवारी

राष्ट्रीय सेवा योजना (मेंटर – प्रो0 अनुपम शैरी)

1. डॉ0 आभा मिश्रा
2. डॉ0 नेहा विश्वकर्मा

खेलकूद प्रभारी

1. प्रो0 किरन सिंह (प्रभारी)
2. डॉ0 गरिमा सिंह
3. श्रीमती शिखा गुप्ता
4. वीरेन्द्र सिंह

अनुशासन समिति/ऐन्टी रैगिंग

1. प्रो0 अनुराधा गुप्ता (प्रभारी)
2. डॉ0 नसीम अख्तर
3. श्रीमती अज़रा
4. डॉ0 कविता सिंह
5. डॉ0 संगीता कुमार
6. अमिता वर्मा
7. डॉ0 चंचल देवी
8. डॉ0 शिखा गुप्ता
9. डॉ0 प्रीति शर्मा
10. अंकिता तिवारी

एन0ई0पी0/वोकेशनल/स्किल डवलैपमेंट/आन्तरिक बाह्य परीक्षा/रोजगार परामर्श समिति

1. प्रो0 अनुपम शैरी (प्रभारी)
2. प्रो0 किरन सिंह
3. डॉ0 संतोष गाबा
4. डॉ0 नसीम अख्तर
5. अमृता श्रीवास्तवा
6. डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता
7. श्रीमती अज़रा
8. श्रीमती मनीषा शर्मा
9. श्रीमती पूजा सिंह

मीडिया प्रभारी

1. डॉ0 नीलम कान्त (प्रभारी)
2. डॉ0 नीलम सिंह

छात्रावास समिति

1. प्रो0 मीरा अग्रवाल (प्रभारी)
2. प्रो0 शुभलेश
3. डॉ0 नीलम सिंह
4. डॉ0 आभा मिश्रा
5. अंकिता तिवारी
6. साक्षी प्रिया गिरि (काउंसलर)
7. श्री अम्बिका तिवारी

अन्नपूर्णा समिति

1. प्रो0 किरन सिंह (प्रभारी)
2. श्रीमती पूजा सिंह
3. साक्षी प्रिया गिरि
4. डॉ0 कुमारी अनुपमा
5. डॉ0 प्रविशा पाण्डेय
6. श्रीमती ललिता दीक्षित

समय सारिणी प्रभारी

1. प्रो0 किरन सिंह (प्रभारी) – बी0ए0, एम0ए0
2. प्रो0 शुभलेश कुमारी – बी0एड0
3. डॉ0 संतोष गाबा – बी0कॉम
4. डॉ0 गरिमा सिंह – सदस्या
5. अमृता श्रीवास्तवा – सदस्या

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और आयोजनों की समिति

1. प्रो0 शिखा श्रीधर
2. डॉ0 प्रीति शर्मा
3. डॉ0 प्रतिमा सिंह
4. श्रीमती अज़रा
5. डॉ0 शिखा यादव
6. श्रीमती अजरा
7. डॉ0 प्रीति शर्मा

NAAC समिति / IQAC समिति

1. प्रो0 शुभलेश कुमारी (प्रभारी)
2. प्रो0 अनुपम शैरी
3. प्रो0 किरन सिंह
4. प्रो0 शिखा श्रीधर
5. डॉ0 प्रतिमा सिंह
6. डॉ0 संतोष गाबा
7. डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता
8. अमृता श्रीवास्तवा

प्रार्थना एवं आवश्यक घोषणा

1. प्रो0 अनुराधा गुप्ता (प्रभारी)
2. प्रो0 अनिता रानी
3. श्रीमती अज़रा
4. श्रीमती पूजा सिंह
5. डॉ0 संगीता कुमार.
6. अमिता वर्मा
7. डॉ0 प्रीति शर्मा
8. डॉ0 शिखा गुप्ता

छात्रवृत्ति समिति

1. प्रो0 अनिता रानी (प्रभारी)
2. डॉ0 कविता सिंह
3. डॉ0 नसीम अख्तर
4. डॉ0 गरिमा सिंह
5. अमृता श्रीवास्तवा
6. डॉ0 शिखा यादव
7. डॉ0 संगीता कुमार
8. डॉ0 चंचल देवी
9. श्री गोविन्द अग्रवाल

प्रवेश प्रभारी

बी0ए0 सेमेस्टर –I

1. प्रो0 शिखा श्रीधर (प्रभारी)
2. प्रो अनिता रानी
3. डॉ0 नसीम अख्तर
4. डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता
5. सुरभि सत्याभा
6. अमिता वर्मा
7. श्रीमती ललिता दीक्षित
8. श्रीमती कविता अग्रवाल

बी0ए0 सेमेस्टर –III

1. प्रो0 अनुराधा गुप्ता (प्रभारी)
2. डॉ0 चंचल देवी
3. डॉ0 संगीता कुमार
4. अमिता वर्मा
5. श्रीमती कविता अग्रवाल
6. डॉ0 अर्चना सिंह

बी0ए0 सेमेस्टर –V

1. डॉ0 नीलम सिंह (प्रभारी)
2. डॉ0 नीलम
3. डॉ0 कविता सिंह
4. डॉ0 मधु भदौरिया
5. श्रीमती ललिता दीक्षित

बी0कॉम0 पार्ट –I , II & III

1. डॉ0 संतोष गाबा (प्रभारी)
2. डॉ0 श्वेता शर्मा

एम0ए0 संगीत (तबला/सितार) – प्रो0 मीरा अग्रवाल एवं प्रो0 अनिता रानी

एम0ए0 इतिहास – डॉ0 नीलम सिंह

एम0ए0 हिन्दी – डॉ0 प्रतिमा सिंह एवं डॉ0 अर्चना सिंह

एम0ए0 अंग्रेजी – डॉ0 नीलम एवं डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता

चिकित्सा समिति / बालिका हेल्थ क्लब

1. प्रो0 शुभलेश कुमारी (प्रभारी)
2. श्रीमती अज़रा
3. अमिता वर्मा
4. डॉ0 प्रविशा पाण्डेय
5. श्रीमती प्रियंका रानी
6. डॉ0 श्वेता शर्मा

अभिभावक शिक्षक समिति

1. प्रो0 अनुराधा गुप्ता (प्रभारी)
2. डॉ0 नीलम
3. डॉ0 संगीता कुमार
4. कु0 अमिता वर्मा
5. डॉ0 चंचल देवी

स्वच्छता एवं सौन्दर्य समिति/स्वच्छ सारथी क्लब

1. प्रो0 मीरा अग्रवाल (प्रभारी)
2. डॉ0 शिखा गुप्ता
3. डॉ0 नीलम कान्त
4. डॉ0 संगीता कुमार
5. श्रीमती अज़रा
6. डॉ0 श्वेता शर्मा

निर्धन, दिव्यांग एवं वंचित समूह सहायता समिति

1. प्रो0 मीरा अग्रवाल (प्रभारी)
2. प्रो0 अनुपम शैरी
3. प्रो0 शुभलेश कुमारी
4. डॉ0 नसीम अख्तर
5. श्री गोविन्द अग्रवाल

पुरातन छात्र समिति

1. प्रो0 शिखा श्रीधर (प्रभारी)
2. डॉ0 नसीम अख्तर
3. डॉ0 नीलम सिंह
4. अंकिता तिवारी
5. सुरभि सत्याभा
6. डॉ0 शिखा यादव

आन्तरिक परीक्षा समिति

1. प्रो0 अनुपम शैरी
2. प्रो0 किरन सिंह
3. श्रीमती पूजा सिंह
4. डॉ0 संगीता कुमार
5. डॉ0 शिखा गुप्ता

छात्र कल्याण समिति

1. प्रो0 अनुराधा गुप्ता (प्रभारी)
2. प्रो0 अनिता रानी ,
3. डॉ0 नीलम
4. श्रीमती प्रियंका रानी
5. सुरभि सत्याभा
6. डॉ0 अर्चना सिंह

अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ

1. प्रो0 किरन सिंह (प्रभारी)
2. प्रो0 शिखा श्रीधर
3. प्रो0 शुभलेश कुमारी
4. डॉ0 नीलम सिंह
5. डॉ0 शिखा यादव

मेन्टरिंग एवं मनोविज्ञान तथा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

1. साक्षी प्रिया गिरि
2. डॉ0 गरिमा सिंह
3. डॉ0 शिखा यादव

नवाचार/संस्थागत नव प्रवर्तन परिषद्

1. प्रो0 अनुपम शैरी (प्रभारी)
2. डॉ0 नसीम अख्तर
3. अमृता श्रीवास्तवा
4. डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता
5. श्री मनोज कुमार सक्सेना

वार्षिक एवं प्रगति आख्या समिति

1. प्रो0 अनुराधा गुप्ता (प्रभारी)
2. अमिता वर्मा

भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ

1. डॉ0 नीलम सिंह (प्रभारी)
2. प्रो0 शिखा श्रीधर
3. डॉ0 प्रतिमा सिंह
4. डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता

अन्तर्राष्ट्रीय छात्र परिषद्

1. प्रो0 मीरा अग्रवाल (प्रभारी)
2. प्रो0 शिखा श्रीधर
3. नीलम कान्त
4. डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता

सोशल मीडिया एवं संचार प्रकोष्ठ

1. डॉ0 अनुपम शैरी (प्रभारी)
2. डॉ0 गरिमा सिंह
3. डॉ0 पल्लबी दासगुप्ता
4. साक्षी प्रिया गिरि
5. श्री अम्बिका तिवारी

क्रय–विक्रय समिति

1. प्रो0 किरन सिंह (प्रभारी)
2. प्रो0 मीरा अग्रवाल
3. प्रो0 शुभलेश कुमारी
4. श्री मनोज सक्सेना

प्रवेश अभियान समिति

1. प्रो0 मीरा अग्रवाल (प्रभारी)
2. प्रो0 अनुराधा गुप्ता
3. डॉ0 नीलम कान्त
4. डॉ0 श्वेता शर्मा
5. डॉ0 प्रीति शर्मा
6. डॉ0 नीलम सिंह
7. डॉ0 चंचल देवी
8. डॉ0 प्रेमलता
9. डॉ0 अर्चना सिंह
10. श्री अम्बिका तिवारी
11. श्री वीरेन्द्र सिंह

एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 एवं रोवर/रेंजर्स

सत्र 2025–26 का वार्षिक शुल्क विवरण इस प्रकार है

क्र0सं0	शुल्क विवरण	बी0ए0			बी0एड0		एम0ए0	
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	पूर्वार्द्ध	उत्तरार्द्ध
1	शिक्षण शुल्क	–––	–––	–––	–––	–––	–––	–––
2	महंगाई	240	240	240	240	240	240	240
3	पुस्तकालय एवं अध्ययन शुल्क	30	30	30	30	30	38	38
4	चिकित्सा शुल्क	12	12	12	12	12	12	12
5	क्रीड़ा शुल्क	300	300	300	300	300	300	300
6	पत्रिका शुल्क	50	50	50	50	50	50	50
7	पंखा शुल्क	12	12	12	12	12	12	12
8	शीत एवं ग्रीष्मकालीन शुल्क	300	300	300	300	300	300	300
9	परिचय पत्र दैनन्दिनी शुल्क	8	8	8	8	8	8	8
10	पंजीकरण शुल्क	25	25	25	25	25	25	25
11	दीक्षांत एवं वार्षिक समारोह शुल्क	10	10	10	10	10	10	10
12	प्रवेश शुल्क	3	3	3	3	3	3	3
13	छात्रा संघ	4	4	4	4	4	4	4
14	गर्ल्स गाइडिंग	–––	–––	–––	1000	–––	–––	–––
15	गृह परीक्षा शुल्क	10	10	10	10	10	10	10
16	विकास शुल्क	30	30	30	30	30	30	30
17	इन्सीडेनियल (प्रासंगिक शुल्क)	–––	–––	–––	–––	–––	–––	–––
	(क) पुस्तकालय	30	30	30	30	30	30	30
	(ख) प्रयोगशाला	25	25	25	25	25	25	25
18	निर्धन विद्यार्थी कोष	12	12	12	12	12	12	12
19	छात्र कल्याण एवं प्रशासन	12	12	12	18	18	12	12
20	कॉलेज भवन	30	30	30	30	30	30	30
21	परीक्षा आवेदन–पत्र	25	25	25	25	25	25	25
22	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	1600	1600	1600	4000	4000	2000	2200
23	उपाधि शुल्क	300	–––	–––	300	–––	300	–––
24	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	300	–––	–––	–––	–––	–––	–––
25	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	100	100	100	100	100	100	100
26	रोवर्स/रेंजर्स शुल्क	50	50	50	50	50	50	50
27	INCUBATION	200	200	200	200	200	200	200
28	वोकेशनल पाठ्यक्रम शुल्क	500	500	–––	–––	–––	–––	–––
	कुल योग	**4218**	**3618**	**3118**	**6824**	**5524**	**3826**	**3726**

विशेष :–

1. **बी0ए0 प्रथम/द्वितीय/तृतीय प्रयोगात्मक प्रति विषय शुल्क रू. 240/–**
2. **स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र हेतु रू. 2/– लिया जाता है।**
3. **स्ववित्तपोषित हिन्दी, शुल्क रू. 10,000/– अग्रेजी शुल्क रू. 10,500/– विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है।**
4. **स्ववित्तपोषित बी0कॉम प्रथम वर्ष रू. 10,000/– एवं द्वितीय, तृतीय वर्ष शुल्क रू. 9,500/– विश्वविद्यालय शुल्क भी सम्मिलित है।**
5. **छात्रावास शुल्क रू. 14,700/–**
6. **विवरण–पुस्तिका (Prospectus) शुल्क रू. 400/– देय होगा।**
7. **विश्वविद्यालय शुल्क में यदि कोई परिवर्तन सत्र में कमी भी होता है, तो वह छात्रा को जमा करना होगा।**

महाविद्यालय वेबसाइट – www.bdjainagra.com **समर्थ पोर्टल प्रवेश हेतु वेबसाइट – dbrauadm.samarth.edu.in**

विश्वविद्यालय वेबसाइट – dbrau.ac.in

डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 15.04.2025 द्वारा अनुमोदित
प्रवेश नियमावली सत्र 2025–26

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा आवासीय संस्थानों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि; गृह विज्ञान, प्रबन्धन, लाइफ सांईसेज, इंजीनियरिंग, विधि संकायों, शिक्षा एवं ललितकला की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होगें। प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिसकी सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त है और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

आवश्यक निर्देश

1. (i) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों यथा बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी(एग्रीकल्चर), एलएलबी, बीएएलएलबी, एलएलएम, एमएड, बीपीएड, एमएसडब्लू एवं इसके अतिरिक्त जिन पाठ्यक्रमों में आवेदन सीटों से दोगुने अधिक प्राप्त होगें, वहाँ पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किये जा सकते है।

   (ii) बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम एवं एमएससी में प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से लेगा। परन्तु सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के **Samarth Admission Portal** के माध्यम से ही किये जायेंगे **एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश Four Year Under Graduate Programme (FYUGP) के अनुरूप होगें।** (जिसका अध्यादेश संलग्न है।) तथा बी0बी0ए0, बी0सी0ए0 एवं अन्य एकल विषय वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु यही प्रकिया लागु की जा सकती है।

   (iii) प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते है।

   (iv) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है।

   (v) स्नातक/परास्नातक स्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों की योग्यता गणना एवं शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी अनापत्ति/सम्बद्धता विभिन्न Regulatory Bodies द्वारा जारी की जाती है, उनमें प्रवेश उनकी गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा।

3. (i) अभ्यर्थी केवल एक बार ही समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा एवं शुल्क भी एक बार ही जमा होगा। उसी रजिस्ट्रेशन से अभ्यर्थी एक या एक से अधिक Programme का चयन कर सकता है। प्रत्येक प्रोग्राम को चयन करने पर उसको प्रोग्राम का SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त होगा। **Samarth Registration Number शुल्क स्नातक स्तर के एवं अन्य पाठ्यक्रमों (जिनकी अर्हता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है) हेतु रु0 400/– तथा परास्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रम (स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किये जाने वाले पाठ्यक्रम जैसे– एल–एल0बी0, बी0पी0एड0, बी0एड0, एम0एड0, एल0एल0एम0, आदि) के लिए भी रु0 400/–** होगा तथा अभ्यर्थी केवल एक बार ही Samarth Registration Number का शुल्क जमा करेगा।

   (ii) छात्र द्वारा महाविद्यालय में Reporting के समय सभी Documents की स्वं–प्रमाणित प्रतियाँ मूल प्रति से सत्यापित लेकर महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

(iii) सत्र 2025–26 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश **Samarth Admission Portal (समर्थ प्रवेश पोर्टल)** के माध्यम से किये जायेंगे, इस सरल प्रणाली के अर्न्तगत अभ्यर्थी सात चरणों क्रमशः **(1) समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर (2) समर्थ आई0डी0 से लॉगिन (3) प्रोफाइल (4) अन्य विवरण/निजी जानकारी (5) फोटो व हस्ताक्षर (6) पाठ्यक्रम/महाविद्यालय/संस्थान व विषय का चयन/भुगतान करना/फार्म प्रिंट Online माध्यम से पूर्ण करके सातवें चरण** में जिस आवासीय संस्थान/महाविद्यालय को चुनना चाहता है, वह वहाँ प्रवेश के लिए रिपोर्ट करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी अर्हतानुसार कितने भी पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है। छात्र आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए स्वतंत्र हैं, **जिसके लिए उसे केवल एक बार ही समर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर कराना अनिवार्य है।** संस्थान/महाविद्यालय केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगें जो **Samarth Admission Portal** की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करेगें। इस सम्बन्ध में आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालयों को जारी दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

4. आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्व की भॉति योग्यता सूची के अनुसार पूर्ण की जायेगी। यथा अभ्यर्थी की रिर्पोटिंग **OTP** द्वारा **Admit** प्रक्रिया को पूर्ण किया जायेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक आवासीय संस्थान/सम्बद्ध महाविद्यालय **Samarth** की **Admin Login Id** पर जाकर अभ्यर्थी की सीट **Confirm** भी करेगें।

सामान्य निर्देश

1. **(अ)** (i) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका **"Prospectus"** तैयार करायेगा, जिसमें निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें। विवरण पुस्तिका का अधिकतम मूल्य **रू0 400/–** होगा।

(ii) महाविद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 10/– के स्थान पर रू0 **25/–** लिये जाने की संस्तुति की गयी।

(ब) विवरण पुस्तिका में सत्र **2025–2026** के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में शासनादेश के अनुसार 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, तथा **3** प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए (छात्र के स्वंय से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) तथा–श्रवण बाधित, चलन बाधित एवं दृष्टिबाधित के अंतर्गत ही) तथा EWS हेतु स्वीकृति सीटों के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से 10 प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगी। दिव्यांगजन के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेंगें। यदि कश्मीरी छात्रा है तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

(स) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक अभ्यर्थियों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह एक कम्पयूटर आपरेटर को इस कार्य के लिए अधिकृत करें तथा उसका नाम एवं मोबाइल नम्बर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों में इण्टरनेट एवं कम्प्यूटर की व्यवस्था आवश्यक है तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में एक एडमिशन हैल्प सेंटर होगा। जहाँ से बच्चे को प्रोग्राम, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रदान की जायेगी तथा फॉर्म भरने में भी उनकी मदद की जायेगी।

(द) यदि कोई विद्यार्थी किसी महाविद्यालय में प्रथम वरीयता में प्रवेश पा जाता है, प्रवेशोपरांत यदि किसी दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश पा जाता है और उस महाविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के द्वारा पूर्व में लिये गये प्रवेश को प्रार्थना पत्र देकर 15 दिवस में रदद् कराना होगा तथा महाविद्यालय द्वारा उसे केवल 90 प्रतिशत शुल्क ही वापिस किया जायेगा। यदि कोई विद्यार्थी 01 माह के अंतराल में किसी महाविद्यालय से अपना प्रवेश रदद् कराता है तो उसे केवल 75 प्रतिशत शुल्क महाविद्यालय द्वारा वापिस किया जायेगा।

2. **(अ)** सत्र 2025–26 के लिए सभी संकायों में प्रथम वर्ष/सैमिस्टर में ही प्रवेश दिये जायेगें तथा **रू0 300/– नामांकन शुल्क व रू0 300/– उपाधि शुल्क भी छात्र द्वारा देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश के समय रू0 50/– सांस्कृतिक शुल्क, रू0 100/– क्रीड़ा शुल्क व रू0 100/–Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क भी प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा देय होगा।** जो कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालय द्वारा दिया जायेगा। उसी अनुपात में महाविद्यालय अपने उपयोग हेतु इन शुल्कों को प्रवेश शुल्क के साथ लेगें। नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क को छोड़कर अन्य शुल्क महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष लिये जायेगें।

(ब) एलएलएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विधि स्नातक सामान्य श्रेणी एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 55 प्रतिशत अंकों एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

नोटः–सांस्कृतिक शुल्क, क्रीड़ा शुल्क तथा Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा। महाविद्यालय में Incubation सुविधा/ICT सुविधा शुल्क का एकाउंट प्राचार्य द्वारा संचालित किया जाना समीचीन होगा।

(स) यदि कोई भी अभ्यर्थी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (FYUP के अर्न्तगत) में प्रवेश लेने के प्रथम वर्ष बाद या द्वितीय वर्ष बाद पाठ्यक्रम को छोड़ता है तो उसको एन0ई0पी0–2020 के अनुरूप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। इसके उपरांत यदि वह अभ्यर्थी पुनः अपने पाठ्यक्रम को उपाधि हेतु पूर्ण करना चाहता है तो उसको पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं पुनः प्रवेश के समय उपाधि के लिए रू0 300/–का शुल्क जमा करना होगा। यदि वह अभ्यर्थी डिप्लोमा या सटिर्फिकेट लेने के बाद किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी अन्य पाठ्यक्रम को करने के बाद पुनः अपनी उपाधि को पूर्ण करना चाहता है तो उसको विश्वविद्यालय से पुनः SRN (Samarth Registration Number) प्राप्त करना होगा एवं इसको पुनः नामांकन शुल्क व अन्य शुल्क प्रवेश के समय जमा करने होगें

(द) (i) बीएएलएलबी पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में 10+2(इण्टरमीडिएट) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(ii) यदि किसी छात्र द्वारा हाईस्कूल के पश्चात् 03 वर्ष का प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा अथवा इसके समतुल्य कोई और डिप्लोमा किया गया हो, जिसे इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जाये। ऐसे छात्रों को बीएएलएलबी में न्यूनतम अर्हता के समतुल्य माना जायेगा।

(iii) एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु किसी भी वर्ग में स्नातक सामान्य श्रेणी के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 42 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(य) बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्र द्वारा किसी भी वर्ग में स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो अथवा बीपीईएस 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो।

(र) एम0ए0 में प्रवेश हेतु छात्रों द्वारा किसी भी विषय के साथ स्नातक 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किया गया हो, प्रयोगात्मक विषय की स्थिति में प्रैक्टिकल एवं थ्योरी में पृथक–पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परास्नातक स्तर के प्रयोगात्मक विषय में प्रवेश हेतु छात्र अथवा छात्रा द्वारा स्नातक स्तर पर वह विषय अन्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(ल) एम0एससी0 में प्रवेश हेतु बी0एससी0 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा Practical एवं Theory में पृथक–पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(व) एम0एससी0(कम्प्यूटर साइंस) में प्रवेश हेतु निम्न विषयों के साथ स्नातक किया जाना अनिवार्य होगा।

PCM/Statistics/Computer Science/I.T./B.E./B. Tech. & BCA

उपरोक्त विषयों में स्नातक सामान्य एवम् अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों द्वारा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया गया हो तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 5% अंको की छूट मान्य होगी।

(श) एमएससी (एग्रीकल्चर) ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होंने बीएससी (एग्रीकल्चर) में ऑनर्स किया है, वह एमएससी (एग्रीकल्चर) के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अर्ह होगें, परन्तु जिन छात्रों द्वारा बीएससी (एग्रीकल्चर) किसी विशेष विषय के साथ किया गया हो, वे छात्र उसी विषय के लिए एम0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) में आवेदन हेतु अर्ह होगें।

उपरोक्त परिस्थितियों में छात्रों द्वारा न्यूनतम पूर्णांक 45 प्रतिशत होना आवश्यक है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 5% की छूट अनुमन्य होगी।

(श) एम0कॉम0 में प्रवेश हेतु बी0कॉम0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ष) सभी संकायों की प्रथम वर्ष के लिए **SRN (Samarth Registration Number)** आवेदन–पत्रों के पंजीकरण की **सम्भावित तिथि** निम्नानुसार होगीः–

- **स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष (सभी संकाय) में पंजीकरण की प्रारम्भ तिथि : 05 मई, 2025**
- **स्नातक तथा डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि सभी संकाय के प्रथम वर्ष में पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 जून, 2025**
- **स्नातक डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स इत्यादि प्रथम वर्ष कक्षाओं में पठन–पाठन प्रारम्भ करने की तिथि : 01 जुलाई, 2025**
- **स्नातकोत्तर एवं विधि त्रिवर्षीय प्रथम वर्ष पंजीकरण की अन्तिम तिथि : 15 अगस्त, 2025**
- **उक्त तिथियाँ शासनादेश के अधीन होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखते रहें।**
- **उक्त कार्यक्रम/तिथियों मे संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रवेश समिति द्वारा मा0कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

3. (अ) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एन0ई0पी0–2020 के नियमानुसार प्रवेश लेंगे।
   (ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों।
   (स) नई शिक्षा नीति–2020 में व्यक्तिगत परीक्षा के सम्बन्ध में कोई भी प्राविधान नही है।
   (द) नई शिक्षा नीति–2020 में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा से अन्तराल के सम्बन्ध में कोई भी नियम नही है।
   (य) कोई भी छात्र एक पाठ्यक्रम में अर्थात् बीए/बीएससी/बीकॉम/बीएससी(कृषि)/बीएड इत्यादि में एक बार उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पुनः उसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकारी नही होगा। परन्तु स्नाकोत्तर नियमानुसार एक से अधिक विषयों मे कर सकते है।
   (र) एन0ई0पी0–2020 के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों पर सभी नियम एन0ई0पी0–2020 के अनुसार अनुमान्य होगें।

4. (अ) नियमानुसार एलएलबी 06 वर्ष, बीएएलएलबी 08 वर्ष, स्नातक कृषि अधिकतम 07 वर्ष में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
   (ब) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी।
   (i) विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

   (ii) विद्यार्थी के लिए Diploma in Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्ह क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा इसके पश्चात् विद्यार्थी अगले–अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

(iii) विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty का Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवे सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(iv) किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिए निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिए पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैक पेपर परीक्षा आयोजित नही की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

5. प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय–19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश–2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होगें:–

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his/her college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and Principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरणः उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

6. (अ) **स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए न्यनूतम अर्हता निम्न प्रकार होगीः–**

(1) बीएससी (फिजीकल सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
(2) बीएससी (लाइफ सांइस) के लिए इण्टरमीडिएट वॉयोलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।
(3) बीएससी (कृषि) के लिए कला को छोडकर इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(4) बीएससी(गृह विज्ञान) में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(5) बीए/बीकॉम के लिए इण्टरमीएिड़ट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण
(6) सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेडंरी ऐजुकेशन द्वारा निम्न व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना पाठ्यक्रम को विश्वद्यिालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार स्नातक स्तर पर विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कृपया ऐसे छात्रों को प्रवेश किया जाये।

(List of Career Oriented Vocational Courses offered by the CBSE at Senior Secondary Lvevel along with revised Scheme of Studies)

(परिशिष्ट–1)

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/बी0एस0सी0 परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंकों का होना अनिवार्य है, किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

उ0प्र0 बोर्ड/समकक्ष बोर्ड द्वारा यदि ग्रेड दिया जाता है तो ग्रेड प्वाईट/मार्क्स दोनों प्रवेश अर्हता के लिये मान्य होगें।

(स) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेगें :–

(i) उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित जनपदों के इण्टरमीडियट कालेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों को प्रवेश दिया जायेगा एवं अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के आधार पर उसका मूल निवास माना जायेगा।

(ii) निर्धारित मेरिट के अर्न्तगत पाये जाने की स्थिति में अधिकतम 30 प्रतिशत स्थानों पर बाहर (Other State & Other Country) से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यदि निर्धारित संख्या में छात्र/छात्रा नही आते है तो उसे उत्तर प्रदेश के अर्ह/पात्र छात्र/छात्राओं से निर्धारित सीटों को भर दिया जायेगा।

(iii) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृहमंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृत हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें:–

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम् प्राचार्य–चकानुसार।
(iii) अधिष्ठाता शैक्षिक एवं अधिष्ठाता विदेशी छात्र।

नोटः– कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(iv) समय–समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपाल में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सांध्यकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नही दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(v) समिति का यह भी निर्णय हे कि शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चत किया जाये।

शैक्षिक अंकों की गणना :–

7. (क) **स्नातक कक्षायें:–**

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :–

1. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनो।

(ग) विधि पाठ्यक्रम के शैक्षिक अंकों की गणना निम्नवत् होगीः–

(क) बीएएलएलबी स्नातक कक्षायें:–

1. हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।

(ख) एलएलबी विधि स्नातक कक्षायें:–

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत अंकों/ग्रेड दोनों।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ग) एलएलएम स्नातक कक्षायें:–

1. विधि स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोटः–

1. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री–यूनिवर्सिटी, प्री–इंजीनियरिंग, प्री–मेडिकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेन्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंको के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोडकर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग **17 अंकों से अधिक नही होगा।**

(क) स्नातक कक्षायें:

1. उत्तर क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए
   (क) प्रथम विजेता होने के लिए – 5 अंक।
   (ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – 4 अंक।
   (ग) तृतीय विजेता होने के लिए – 3 अंक।
   (घ) प्रतिभाग करने के लिए – 2 अंक।

2. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को 8 अंक।
   अथवा
   एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी–1 उत्तीर्ण केडिटों को 6 अंक।
   अथवा
   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक।

3. स्वतंत्रता सेनानी पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पोत्र/पौत्री) 5 अंक।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वंय सेवकों को 5 अंक।
5. बी0कॉम0 (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 05 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होनें इण्टरमीडिएट या 10+2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हों।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें:

1. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए **– 8 अंक।**
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए **– 7 अंक।**
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए **– 6 अंक।**
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए **– 3 अंक।**
2. विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए:–
   (क) प्रतियोगिता में प्रथम विजेता होने के लिए **– 5 अंक।**
   (ख) प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता होने के लिए **– 4 अंक।**
   (ग) प्रतियोगिता में तृतीय विजेता होने के लिए **– 3 अंक।**
   (घ) प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए **– 2 अंक।**
3. एन0सी0सी0 "सी" सर्टीफिकेट/जी–2 उत्तीर्ण केडिटों को **– 8 अंक।**
   अथवा
   एन0सी0सी0 "बी" सर्टीफिकेट/जी–1 प्रमाण पत्र धारक केडिटों को **–6 अंक।**
   अथवा
   एन0सी0सी0 केडिट जिन्होनें 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। **–3 अंक।**
4. एन0एस0एस0 में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए **–5 अंक।**
5. महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। **–3 अंक।**
   अथवा
   महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तरविश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हों।

(क) प्रथम विजेता होने के लिए – **5 अंक।**
(ख) द्वितीय विजेता होने के लिए – **4 अंक।**
(ग) तृतीय विजेता होने के लिए – **3 अंक।**
(घ) प्रतिभाग करने के लिए – **2 अंक।**

नोटः–उपर्युक्त 1 से 5 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र/रोवर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

(ख) **सभी कक्षायें:**

1. डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री।– **–17 अंक।**
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति–पत्नी पुत्र–पुत्री (अविवाहित)। **–10 अंक।**
3. भारतीय सेना/पैरा मिलट्री फोर्स/अर्द्ध सैनिक बल (पुलिस/पी0एस0सी0) मे कार्य करते हुये विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में। **–17 अंक।**

टिप्पणी:

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वंय करेगा यदि वह यह घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नही किया जायेगा।

नोटः–

1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्त से पूर्व मुत्यु होने की दशा में इस नियम के अर्न्तगत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।
2. उपर्युक्त "1" से "3" के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण–पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोटर्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन0सी0सी0 अधिकारी/एन0एस0एस0 अधिकारियों द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
3. **उपर्युक्त अतिरिक्त अंकों का लाभ अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दिया जा सकेगा अर्थात् स्नातक एवं परास्नातक स्तर में प्रवेश पर।**

8. (अ) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगें, जो सेवारत हो और जिसकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अर्न्तगत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।
   (ब) विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही महाविद्यालय प्रवेश लेने हेतु अधिकृत होगें।
   (स) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
   (द) संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय को लेने को अनुमति नही दी जायेगी, जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालयों में पढाये जाने की व्यवस्था नही है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।
9. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य, कुलपति को लिखेगें और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
   (ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसार निर्णय लेगें और किसी भी छात्र के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नही करेगें।
   (स) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा।
   (द) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और वेवसाइट पर सूचनाओं/सूचियों की अद्यतन "अपटू–डेट" जानकारी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें।

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भॉति पढ़ लें, उनका यह भी दायित्व होगा कि सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नही हुआ। उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नही की है। नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा अभ्यर्थी का ही होगा।

10. आवेदन यदि किसी अल्पसंख्यक, आरक्षित जाति या किसी विशेष आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास दावा किये गए लाभ का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
11. नई शिक्षा नीति–2020 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों को समायोजित कर लिया जायेगा
12. माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 02.10.2021 के अनुपालन में यदि किसी परिवार की एक से अधिक पुत्री (अर्थात् दो सगी बहनें) परिसर/महाविद्यालय में पढ़ रही हो तो दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस माफ की जायेगी।

कुलसचिव

कुलपति